दाण्डिक अपील क्रमांक 1588/1994

बंदी की अपील

क्रमांक 223 नाम **बिफैया**

पिता का नाम

निवास **गिधा** उम्र 45

दंडादेश **आजीवन कारावास** दिनांक 27.10.1994 को

अंतर्गत **धारा 302 भारतीय दंड सहिंता** द्वारा **अपर सत्र न्यायाधीश जशपुरनगर**

बंदी को यह समझा दिया गया है कि यदि वह यह कहता है या उसकी इच्छा है कि उसका प्रतिनिधित्व कोई विधि व्यवसायी करें, तो अपीलीय न्यायालय प्रकरण में सात दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करेगा जब तक विधि व्यवसायी उपस्थित न हो। यदि विधि व्यवसायी सात दिन के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे आगे नहीं सुना जाएगा। यदि बंदी यह कहता है या उसकी इच्छा नहीं है कि उसका प्रतिनिधित्व कोई विधि व्यवसायी करें, तो न्यायालय प्रकरण में आगे कार्यवाही करेगा और उपस्थित होने वाले उस विधि व्यवसायी को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

1. निर्णय की प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक 27.10.1994
2. प्रतिलिपि प्राप्त करने का दिनांक 15.11.1994
3. दिनांक जब अपील भेजी गयी 20.11.1994
4. क्या बंदी कोई प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहता है **हाँ**/नहीं

.....

क्रमांक 223 नाम **बिफैया** पिता साखाराम

लगातार **उप** जेल **जशपुरनगर** में है

क्रमांक 1063 दिनांक 20.11.1994

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी **रायगढ़** को सक्षम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने हेतु प्रकरण में पारित निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रेषित।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

अधीक्षक
उप–जेल जशपुरनगर (म.प्र.)

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यालय में प्राप्ति दिनांक .....
अभिलेख प्राप्त करने का दिनांक .....
वास्ते अपील ज्ञापन के साथ संलग्न किए जाने हेतु .....
क्रमांक **क्यू मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायगढ़** दिनांक 30.11.1994
सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत

सही/–
सी. बी. बाजपेई
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायगढ़ (म.प्र.)

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1588/1994

बिफैया

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1588/1994

बिफैया

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन एवं**

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

अपीलार्थी के लिए : श्रीमती किरण जैन

राज्य के लिए : श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता एवं श्री रविंद्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 09.09.2005 को अद्घोषित)

इस न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप राव देशमुख द्वारा उद्घोषित किया गया।

1. यह अपील श्री एस.के. गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर, जिला रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 108/94 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.1994 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अपनी पत्नी बिहा बाई की हत्या कारित करने के लिए धारा 302 भारतीय दंड सहिंता के अंतर्गत सिद्धदोष किया गया था।

2. अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है। दिनांक 15.11.1993 को ग्राम गिधा के ग्रामीण दिवाली के अवसर पर त्यौहार मनाने के मिज़ाज में थे और उनके मध्य प्रचलित परंपरा के अनुसार हंडिया शराब पिये हुए थे। मृतका बिहा बाई भी त्यौहार मनाने की मिज़ाज में थी और अपने पति अर्थात अपीलार्थी जो उसके घर के अंदर था के साथ हंडिया शराब पियें हुए थी। जब दोनों नशे की हालत में थे, तब अपीलार्थी को प्यास लगी और उसने पानी मांगा। मृतका

ने जब उसकी बार–बार की मांग पर ध्यान नहीं दिया, तो वह गुस्से में आ गया और उसने कुल्हाड़ी उठा ली तथा बिहा बाई की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया जिससे श्वासनली एवं अन्नप्रणाली कट गई और बिहा बाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब अपीलार्थी का पुत्र तुसुराम (अभियोजन साक्षी क्रमांक–1) घर आया, तो उसने बिहा बाई को मृत अवस्था में देखा। अपीलार्थी ने उसके समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति किया। तुसुराम (अभियोजन साक्षी क्रमांक–1) ने अगले दिन अर्थात 16.11.1993 को प्रातः 9.45 बजे 25 किमी दूर स्थित थाना सन्ना, जिला रायगढ़ में प्रदर्श–पी/1 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया।

3. विवेचना अधिकारी उप–निरीक्षक वी. प्रधान (अभियोजन साक्षी क्रमांक–8) घटनास्थल पर पहुंचे और प्रदर्श–पी/12 के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा तैयार किया। बिहा बाई के शव को शव–परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. रंजीत टोप्पो (अभियोजन साक्षी क्रमांक–6) ने गर्दन के निचले हिस्से पर $7^{1/2}$"x$2^{1/2}$"x3" का एक कटा हुआ घाव पाया, जो पार्श्व दिशा में क्षैतिज रूप से स्थित था, बाएं कंधे के स्तर पर 4"x 3"x3" का एक कटा हुआ घाव क्षैतिज रूप से स्थित था, बाएं कंधे के स्कैपुला के बीच में $4^{1/2}$"x$2^{1/2}$"x2" का एक कटा हुआ घाव, जिसमें स्कैपुला क्षैतिज रूप से कटा हुआ था। बाएं कंधे की जोड़ के मध्य ऊपरी किनारे पर एक और कटा हुआ घाव 3"x $^{1/2}$"x$2^{1/2}$ का था और कंधे अपनी जगह से खिसक गए थे। बायीं कन्नुअल कैरोटिड धमनी कटी हुई थी। अन्नप्रणाली के बायीं ओर के पार्श्व भाग और श्वासनली भी कटी हुई थी। उन्होंने राय व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण आघात था, जो कि ऊपर वर्णित चोटों के कारण हुए अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुआ था। उन्होंने राय व्यक्त किया कि मृत्यु मानववध की प्रकृति का था। दिनांक 16.11.1993 को अपीलार्थी से प्रदर्श–पी/4 के द्वारा एक कुल्हाड़ी जब्त की गई। उसी दिन अर्थात 16.11.1993 को अपीलार्थी से प्रदर्श–पी/5 के द्वारा खून के धब्बे वाली एक सफेद धोती भी जब्त की गई। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अपीलार्थी को अपनी पत्नी बिहा बाई की हत्या कारित करने के लिए धारा 302 भारतीय दंड सहिंता के अंतर्गत अभियोजित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी ने अपना अपराध अस्वीकार किया। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया है। साक्ष्य के अंतर्गत शामिल है अपीलार्थी द्वारा तुसुराम (अभियोजन साक्षी क्रमांक–1) के समक्ष किया गया न्यायिकेतर संस्वीकृति, डॉक्टर रंजीत टोप्पो का चिकित्सीय साक्ष्य और अपीलार्थी के कब्जे से खून लगी हुई कुल्हाड़ी और धोती की बरामदगी। विचारण न्यायालय ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलंब लिया है जो अपीलार्थी के कब्जे से जब्त कुल्हाड़ी और धोती में रक्त के उपस्थित होने की पुष्टि करता है।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने धारा 302 भारतीय दंड सहिंता के अंतर्गत दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी है कि उसका अपनी पत्नी से कोई दुश्मनी या द्वेष नहीं है तथा तुसुराम (अभियोजन साक्षी क्रमांक–1) के साक्ष्य की कंडिका–3 स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि अपीलार्थी हंडिया शराब पीने के बाद पूरी तरह से नशे की हालत में था और वह अपने कृत्य के प्राकृतिक परिणाम को समझने की स्थिति में नहीं था।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विकल्प के रूप में यह भी तर्क किया कि अपीलार्थी के कृत्य से ज्यादा से ज्यादा धारा 304 (भाग–II) भारतीय दंड सहिंता के अंतर्गत अपराध बनता है, क्योंकि अभियुक्तअत्यधिक नशे की हालत में था। इसके विपरीत राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है।

7. हमने विपरीत तर्कों का श्रवण किया। हमने अभिलेखों का भी अध्ययन किया। तुसूराम के अभिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि दिवाली के अवसर पर समीप की बस्ती से हंडिया शराब पीने के बाद जब वह वापस घर आया, तो उसने देखा की उसकी माँ मृत पड़ी है। उसके पिता अपीलार्थी, जो उस समय घर में उपस्थित थे ने उसे बताया कि उसने उसकी माँ को जान से मार दिया है। तुसुराम ने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसके बाद वह प्रदर्श–पी/1 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने चला गया। बरनूराम ने शपथपूर्वक कथन किया है कि तुसुराम द्वारा यह सूचना दिए जाने पर कि उसके पिता ने उसकी माँ को जान से मार दिया है वह अपीलार्थी के घर पहुँचा और मृतका का शव देखा जिसके गले में चोट के निशान थे। उप–निरीक्षक वी प्रधान ने अभिकथन किया है कि उसने अपीलार्थी की निशानदेही पर प्रदर्श–पी/4 और प्रदर्श–पी/5 के माध्यम से कुल्हाड़ी और धोती बरामद की थी। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन प्रदर्श–पी/4 से भी यह स्थापित होता है, जो अपीलार्थी के कब्जे से जब्त कुल्हाड़ी और धोती में रक्त के उपस्थित होने की पुष्टि करता है। डॉक्टर रंजीत टोप्पो के चिकित्सीय साक्ष्य से भी यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि मृतका को कंडिका–3 (पूर्वोक्त) में वर्णित अनुसार चोटें आयी थी। चिकित्सीय साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह से परे यह स्थापित करता है कि बिहा बाई की मृत्यु मानववध की प्रकृति का था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य का अध्ययन किया है। हम पाते हैं कि गवाही विश्वसनीय और स्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे इन गवाहों की बातों पर अविश्वास किया जा सके। इस प्रकार यह युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होता है कि अपीलार्थी ने टांगिया से बार–बार हमला करके बिहा बाई की हत्या की थी।

9. अब हमारे समक्ष विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि अपीलार्थी ने कौन सा अपराध किया है। तुसुराम (अभियोजन साक्षी क्रमांक–1) ने अपनी अभिसाक्ष्य के कंडिका–3 में घर के माहौल और अपने पिता की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। उसने कहा है कि त्यौहार के मिज़ाज में रात में ग्रामीणों ने हंडिया शराब पी थी और उसके पिता ने भी इतनी शराब पी ली थी कि वह अत्यधिक नशे में था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है।

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 86 इस प्रकार है:

> **86. किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है–** उन दशाओं में, जहां कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज, जिससे उसे मत्तता हुई थी, उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गयी हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **बसदेव बनाम पेप्सू राज्य, ए.आई.आर 1956 एस.सी. 488** के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 86 की व्याख्या करते हुए निम्नानुसार अवधारित किया:–

> जबकि धारा का प्रथम भाग आशय या ज्ञान के बारे में कहता है और बाद वाला भाग सिर्फ ज्ञान पर विचार करता है और व्याख्या करने में कुछ तत्व की इस विलोपन के कारण संदेहात्मक होने की संभावना रहती है। जहाँ तक ज्ञान का संबंध है न्यायालय मत्त व्यक्ति से भी उसी ज्ञान की अपेक्षा करता है जो वह सचेत अवस्था में करता। परंतु जहाँ तक आशय या प्रयोजन का संबंध है न्यायालय प्रत्येक मामले में उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार मत्तता की गंभीरता को ध्यान मे रखते हुए निष्कर्ष अवधारित करेगा कि वही व्यक्ति वर्तमान समय में भी उसके दिमाग को नियंत्रित कर रहा था? यदि ऐसा है तो उस पर अनिवार्य आशय अधिरोपित किया जाना संभव नहीं है। परंतु यदि वह पीने में इतना नहीं डूबा होता, और तथ्यों से यह पता चलता है कि उसे यह मालूम था की वह क्या कर रहा है तो न्यायालय इस नियम को लागू करेगा कि उसे अपने कृत्य या कृत्यों के प्राकृतिक परिणामों की जानकारी थी।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा तुसुराम (अभियोजन साक्षी क्रमांक–1) के साक्ष्यों पर हम यह पाते है कि घटना के समय अपीलार्थी और बिहा बाई दोनों हंडिया शराब पिए हुए थे। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी दोनों दिवाली त्यौहार के मिज़ाज में अपने घर के अंदर शांतिपूर्वक हंडिया शराब का आनंद ले रहे थे और उनके मध्य कोई झगड़ा नहीं हो रहा था। बिहा बाई द्वारा अपीलार्थी को पानी देने से इंकार किए जाने पर अपीलार्थी अचानक उत्तेजित हो गया और अत्याधिक मत्तता की हालत में टंगिया उठा लिया और बिहा बाई के गर्दन पर घातक चोट पहुँचाई जबकि वह अपने कृत्य के परिणामों को समझने की स्थिति मे नहीं था। अपीलार्थी जिसका अपनी पत्नी से कोई द्वेष नहीं था वह अत्याधिक मत्तता की हालत में था। मत्तता के प्रभाव में अपीलार्थी इस सीमा तक उत्तेजित हो गया कि बिहा बाई द्वारा सिर्फ पानी देने से इंकार किए जाने पर उसने टंगिया उठा लिया और बिहा बाई के गर्दन पर घातक चोट पहुँचाई। यह तथ्य कि अपीलार्थी अत्याधिक नशे की हालत में था और अपने कृत्य के परिणामों को समझने में असमर्थ था के आधार पर हमारा यह सुविचारित राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी पर बिहा बाई की मृत्यु कारित करने का अनिवार्य आशय अधिरोपित नहीं किया जा सकता, यद्यपि अपीलार्थी पर यह अनिवार्य ज्ञान अधिरोपित किया जा सकता है कि उसके द्वारा बिहा बाई को पहुँचाई गई चोट मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परस्पर विरोधी तर्कों तथा मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हमारा यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304(भाग–II) से अधिक का नहीं है।

13. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। इसके बजाय उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–II के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। बिहा बाई को लगी चोटों की प्रकृति को देखते हुए, हम अपीलार्थी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हैं। अपीलार्थी दिनांक 17.11.1993 अर्थात 11 वर्ष और 9 महीने से अभिरक्षा में है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.3.2003 के द्वारा जमानत प्रदान की गई थी। हालांकि, अपीलार्थी ने जमानत प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए वह जेल में बंद है और वह पहले ही दंड भुगत चुका है। अपीलार्थी को इसलिए रिहा किया जाए, यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं हो।

सही/—
फखरुद्दीन
न्यायाधीश

सही/—
श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur